बिहार सरकार
स्वास्थ्य निदेशालय
आदेश

आ0सं0–6/एन0–08–45/2020–352 (6) /पटना–15, दिनांक–17/02/2024

विभागीय आदेश ज्ञापांक–987(6), दिनांक–01.09.2020 द्वारा नर्सेज ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एक्जामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 के नियम–4(ii) के आलोक में श्री महावीर तिवारी रिसर्च एण्ड वेलफेयर सोसाईटी, डॉ0 भारती तिवारी कैम्पस, एन0एच0 28, बी0बी0 गंज भगवानपुर, मुजफ्फरपुर–842001 द्वारा प्रस्तावित महावीर नर्सिंग स्कूल एवं कॉलेज, एन0एच–28, लसगरीपुर, कांटी, मुजफ्फरपुर–842003 को बी0एस0सी0 नर्सिंग संस्थान की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान किया गया।

2 – विभागीय आदेश ज्ञापांक–47(6), दिनांक–15.01.2021 द्वारा संस्थान को मान्यता प्रदान किए जाने हेतु डॉ0 अंजनी कुमार, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष के पत्रांक–107/अ0नि0को0, दिनांक–09.08.2021 द्वारा भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप उपलब्ध भौतिक संसाधनों, मानव संसाधनों तथा अन्य सुविधाओं की जांच एवं निरीक्षण कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

3 – विशेषज्ञ समिति के अनुशंसा के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त महावीर नर्सिंग स्कूल एवं कॉलेज, एन0एच–28, लसगरीपुर, कांटी, मुजफ्फरपुर–842003 को नर्सेज ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एक्जामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 के नियम–4 (iii) के आलोक में बी0एस0सी0 नर्सिंग पाठयक्रम में 60 (साठ) सीटो पर नामांकन लेने हेतु एक सत्र के लिए निम्न शर्तों पर मान्यता प्रदान की जाती हैः–

(क) संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों/निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए संचालित की जायेगी।

(ख) नर्सेज ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एक्जामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 एवं समय–समय पर सरकार द्वारा लागू की गयी नियमावली में निहित प्रावधानों का अनुपालन संस्थान द्वारा किया जायेगा। भारतीय उपचर्या परिषद् की अर्हताओं की अवहेलना होते ही संस्थान की मान्यता रद्द कर दी जायेगी।

(ग) उक्त संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्गत अद्यतन दिशा–निर्देश के आलोक में अपना Suitability प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।

(घ) कुल आवंटित सीटों में से 50% छात्र/छात्राओं का नामांकन सरकार के निर्णयानुसार की जायेगी।

(ङ) संस्थान बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, मीठापुर फॉर्म एरिया, मीठापुर, पटना–800001 से संबद्धता प्राप्त कर लेगी।

(च) संस्थान की प्रशासी इकाई में (i) क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर (ii) असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर तथा (iii) अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सदस्य मनोनीत किया जाता है।

4 – इसमें माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(डॉ0 सुनील कुमार झा)
निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

क्रमशः

ज्ञापांक : 6/एन0–08–45/2020....352 (6) पटना दिनांक 17/02/2024

प्रतिलिपिः– सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद्, 8वां तल्ल, एन0बी0सी0सी0 सेंटर, प्लॉट नं0–2, कम्यूनिटी सेंटर, ओखला फेज–01, नई दिल्ली–110020/निबंधक, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– परीक्षा नियंत्रक, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– निबंधक, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, मीठापुर फॉर्म एरिया, मीठापुर, पटना–800001/आर्यभट ज्ञान विश्वविद्यालय, मीठापुर फॉर्म एरिया, मीठापुर, पटना–800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सचिव, महावीर नर्सिंग स्कूल एवं कॉलेज, एन0एच–28, लसगरीपुर, कांटी, मुजफ्फरपुर–842003 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

17.2.24.

निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

Received
17/2/24